न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 88/2018 G.C.M.S. No. 2018/00312 दर्ज दिनांक : 18.09.2018

अपीलार्थी:

1. हारकी पुत्री सुखा पत्नि मांगीलाल, उम्र 47 वर्ष, जाति सीरवी, निवासी ग्राम आकेली, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
2. मांगुडी पुत्री सुखा, पत्नि प्रभुराम, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम धूलकोट, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
   हाल पता मकान नंबर 75, Singaravelan nagar 2nd street Kolathur Pavtha Garam, Kolathur, District – Tiruralluz – Tamilnadu 600099

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. रामी पुत्री राईग पत्नि हीरालाल, उम्र 70 वर्ष, जाति सीरवी, निवासी बिराटियां खुर्द, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
2. भवराई पुत्री राईग पत्नि पुराराम, उम्र 60 वर्ष, जाति सीरवी, निवासी बिराटियां खुर्द, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
3. लाबुड़ी पत्नि सुखा, जाति सीरवी
4. सजनी पुत्री सुखा, जाति सीरवी
5. जसकी पुत्री सुखा, जाति सीरवी, निवासी खेड़ामामावास, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
6. गौतम गोदपुत्र सुखा, जाति सीरवी, निवासी खेड़ामामावास, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
7. तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
8. उप–पंजीयक रायपुर, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
9. जिला कलक्टर, पाली, तहसील पाली, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 110/2013 बअनवान रामी वगैरह बनाम लाबुड़ी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री श्याम पंचारिया, श्री राधाकिशन चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 21.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 110/2013 बअनवान रामी वगैरह बनाम लाबुड़ी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिविरूद्ध है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय अपीलांट प्रतिवादी को वाद के संबंध की कोई विधिक प्रक्रिया अनुसार सम्मन की तामिल नहीं करवायें। इस प्रकार सिविल प्रक्रिया सहिता के आदेश 5 नियम 16, 17, 18 की कोई विधिक पालना नहीं की गई वादी ने वाद पत्र में प्रतिवादी के स्थायी निवास पते पर कोई सम्मन जारी नही करवाये न ही प्रतिवादी अपीलांट का सही पता वाद पत्र में दर्ज किया जबकि अपीलाट विवाहित स्त्री है जो अपने ससुराल में पति के साथ निवास करती हैं। इस प्रकार किसी भी न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार के विरूद्ध आदेश/निर्णय पारित करने से पूर्व ऐसे प्रभावी पक्षकार को विधिवत सुनवाई हेतु प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों अनुसार उन्हें सम्मन तामिल करवाया जाना आज्ञापक है। लेकिन उक्त बाद में अपीलांट प्रतिवादी को कोई सम्मन विधिक प्रक्रिया अनुसार जारी कर तामिल नहीं करवाया तथा तामिल के अभाव में अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट को विधिवत सम्मन तामिल नहीं कराये जाने से प्रतिवादी अपना वांछित पक्ष अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका एवं उनके विरूद्ध गलत तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही की। जबकि न्यायालय का दायित्व था वह वाद में कोई अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व तथा वाद के पक्षकारों को विधिवत सम्मन तामिल करवाना तथा उन्हें जवाब दावा हेतु समय प्रदान करना तत्पश्चात् तनकीयात कायम की जाना आज्ञाप्क थीं। इस प्रकार न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया विधिक प्रावधानों के विरूद्ध तथा प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की बिना पालना किये अपीलाधीन निर्णय पारित किये जबकि उक्त बाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्रतिवादी अपीलान्ट के जवाब व पक्षकारों की साक्ष्य के अभाव में तथा उन्हें वादी गवाहान से जिरह करने का अवसर दिये बिना तथा प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना विधिक प्रावधानों के विरूद्ध पारित की गई हैं। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का खुल्ला उल्लघंन करते हुए एवं प्रक्रिया सहिता की पालना किये बिना एवं प्रतिवादी अपीलांट को न्याय से वंचित करते हुए वाद प्रक्रिया संधारित की गई। जबकि वादी द्वारा याद मृतक खातेदारों/पक्षकारों के विरुद्ध प्रत्तुत किया जिसमें प्रतिवादी 22 गुमनाई पत्नि धन्ना जी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

24 ताराराम जी, 35 रूपा पुत्र बींजा, 43 घीसा पुत्र भल्ला जी. 58 प्रभुलाल पुत्र अमरा जी, 72 पानकी पत्नि मुंगा जी. 80 उरजा पुत्र हीराजी, 83 नेती पुत्र बन्ना जी जो वाद प्रस्तुति दिनांक 05.09.2013 से पूर्व मृत्यु हो चुकी थीं। जिसकी जानकारी न्यायालय को थीं। जिस पर वादी का वाद एबेट हो चुका था लेकिन पीठासीन अधिकारी ने वाद पत्र खारिज नहीं कर प्रतिवादी सं. 7 से 103 के नाम को तर्क कर दिया तथा प्रतिवादी अपोलांट को विधिवत सम्मन तामिल कराये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध आदेश है जो समस्त उपरोक्त वाद की कार्यवाही मात्र वादी पक्षकार को लाभ पहुंचाने की नियत से एवं उससे मेल मिलावट कर एवं प्रतिवादी अपीलांट प्रभावी पक्षकार को न्याय से एवं उनकी भूमि से वंचित करने की नियत से अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री पारित की। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा के सबंध में कोई आवश्यक दस्तावेज वादी द्वारा इस आशय का पेश नहीं किया की वादग्रस्त भूमि में वादीगण व उनके पिता राईंग पुत्र माना जी का कब्जाकाश्त रहा हो ऐसे किसी भी राजस्व दस्तावेज अथवा गिरदावरी व नामान्तकरण को साक्ष्य में वादी द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाये तो वादीगण राईंग जी के हिस्से को भूमि के उत्तराधिकारी वादी रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2 को ऐसे दस्तावेज वादी की ओर से विधि अनुसार साक्ष्य व सबूत पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाये न ही ऐसे दस्तावेज वाद पत्र के साथ पेश किये लेकिन वादीगण ने ऐसे कोई दस्तावेज वाद के साथ प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह प्रकट हो कि उक्त भूमि राईंगजी के नाम रही हो एवं उसमें वादीगण उत्तराधिकारी हो एवं उक्त भूमि पर काश्त की हो इस प्रकार राजस्व रेकर्ड अनुसार वादी का वाद किसी भी विधि के अन्तर्गत पोषणीय नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री प्रथम दृष्टया विधि व प्रावधानों के विरूद्ध तथा प्रक्रिया संहिता की आज्ञाधक पालना किये बिना पारित की गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट को वाद के सम्मन प्रक्रिया सहिता अनुसार तामिल नहीं कराये इस कारण वाद की जानकारी नहीं हो रूकी तथा प्रतिवादी जवाब दावा व साक्ष्य पेश नहीं कर सकी इस कारण न्यायिक कार्यवाही की कोई प्रक्रिया संहिता अनुसार नहीं की जाकर उक्त समस्त कार्यवाही वादी पक्षकार से मिलावट करते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई। इस कारण उक्त वाद की कार्यवाही व निर्णय डिक्री की जानकारी दिनांक 06.08.2018 तक प्रतिवादी पक्षकार को नहीं हो सकी। इस प्रकार विधि विरूद्ध पारित निर्णय एंवम डिक्री के विरूद्ध अपील हेतु कोई कानूनी अवधि बाधा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंवम डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब अपीलान्ट की अपीलाधीन खातेदारी कब्जे काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

की कृषि भूमि पर कुछ लोग एवम वादी दिनाक 06.08.2018 को अपीलान्ट की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने हेतु मौके पर आये एवम अपने पक्ष में निर्णय एवं डिक्री होना बताया तथा राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज कराने का कहा जिसका विरोध अपीलान्ट के काश्तकार व अन्य द्वारा मौके पर किये जाने पर तब उक्त लोगों ने अपीलान्ट को बताया की उक्त भूमि के संबध में निर्णय एवम डिक्री दिनांक 24.01.2017 पारित कर दी गई। तब अपीलान्ट ने उक्त वाद व निर्णय की जानकारी कर उसकी नकलों हेतु आवेदन दिनाक 09.08.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध विधिक राय लिये जाने पर तथा अन्य दस्तावेज दिनांक 04.09.2018 को प्राप्त किये जाने पर प्रथम बार नकलें लेने पर ज्ञात हुआ। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2017 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 12.09.2018 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी को वाद के सम्मन की विधिवत तामील करवाए बिना एवं साक्ष्य व जवाब का अवसर दिए बिना पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब अपीलान्ट की अपीलाधीन खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर कुछ लोग एवम वादी दिनाक 06.08.2018 को अपीलान्ट की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने हेतु मौके पर आये एवम अपने पक्ष में निर्णय एवं डिक्री होना बताया तथा राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज कराने का कहा जिसका विरोध अपीलान्ट के काश्तकार व अन्य द्वारा मौके पर किये जाने पर तब उक्त लोगों ने अपीलान्ट को बताया की उक्त भूमि के संबध में निर्णय एवम डिक्री दिनांक 24.01.2017 पारित कर दी गई। तब अपीलान्ट ने उक्त वाद व निर्णय की जानकारी कर उसकी नकलों हेतु आवेदन दिनाक 09.08.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध विधिक राय लिये जाने पर तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अन्य दस्तावेज दिनांक 04.09.2018 को प्राप्त किये जाने पर प्रथम बार नकलें लेने पर ज्ञात हुआ। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट प्रार्थिया के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा करीब 19 माह विलंब से अपील प्रस्तुत की हैं। जो म्याद के बिंदु पर खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा तलबी विधिनुसार नहीं होने का आधार लिया गया है। जो विधिपूर्ण नहीं हैं। क्योंकि रेस्पोंडेंट संख्या 3 लगायत 9 अपीलांट के पारिवारिक सदस्य है। जिनके द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया गया है व प्रकरण के निर्णय की उन्हें पूर्ण जानकारी रही हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील म्याद के बिंदु पर खारिज फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स से उनकी बहन से तामील होने का अंकन है। जबकि अपीलांट्स महिलाएं शादीशुदा एवं वरिष्ठ है। जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। अतः बहन से हुई तामील को विधिवत नहीं माना जा सकता। चूंकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट्स की गैर मौजूदगी में इनकी पीठ के पीछे पारित हुआ है। अतः निर्णय दिनांक से निर्णय की जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता राईंग पुत्र मानाजी की होने तथा राईंग की मृत्यु होने पर नामांतरण संख्या 34 केवल अपीलांट्स के भाई सुखा एवं माता तिजाई के नाम स्वीकृत किया गया। जबकि वादीगण राईंग की पुत्रियां होने से वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात पर वारिसान से अधिकार निहित होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वादीगण के भाई सुखा के वारिसान है। वादीगण की माता तिजाई का देहांत हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.10.2016 के अंकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तामील करवाए बिना इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं। अर्थात प्रतिवादीगण अपीलांट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व चाराजोही करने का कोई अवसर नहीं मिला। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जवाबदावा प्रस्तुत करने का भी युक्तियुक्त अवसर दिए बिना तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अधिवक्ता प्रतिवादी को जिरह का अवसर दिए बिना एवं साक्ष्य में जिरह करवाए बिना विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

को वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के साथ भू–अभिलेख में नाम जोड़कर खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने बाबत आदेश पारित किया है। जो प्रक्रियात्मक व तात्विक विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध होने से समर्थन योग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के निर्देश के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 110/2013 बअनवान रामी वगैरह बनाम लाबुड़ी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2017 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **21.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner